कम्प्यूटर परिपत्र सं०- 1617036 दिनांक 29-09-2016

अत्यन्त महत्वपूर्ण

पत्रसं0-ज्वा0कमि0(वि0अनु0शा0) मु0-06/स0प0/एफ0एम0सी0जी0 /15-16/ 2047 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0
(वि0अनु0शा0-अनुभाग)
लखनऊ ::दिनांक 29 सितम्बर,2016

समस्त
जोनल एडीशनल कमिश्नर
एडीशनल कमिश्नर-ग्रेड-2(वि0अनु0शा0)
वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश।

वाणिज्यिक क्रिया कलापों की दृष्टि से आने वाले महीने अत्यन्त महत्वपूर्ण है। नवरात्रि, दशहरा एवं दीपावली के पर्व सन्निकट है। ऐसे अवसरों पर व्यापक बिक्री के उद्देश्य से बडी-बड़ी कम्पनियों द्वारा अपने उत्पादों पर विभिन्न प्रकार की स्कीम घोषित की जाती है तथा मोटर व्हेकिल, दुपहिया वाहनों, इलेक्ट्रानिक वस्तुओं किराना, मेवा, मिठाई, रेडीमेड गारमेण्ट , बर्तन, गिफ्ट आइटम व अन्य एफ0एम0सी0जी0 वस्तुओं का क्रय / विक्रय अन्य किसी भी माह की तुलना में इस अवसर पर अधिक होता है। ई-शॉपिंग कम्पनीज, कोरियर कम्पनियों की सक्रियता बढ़ जाती है।

इसी क्रम में दीपावली के अवसर पर विभिन्न बैंकों एवं डाकघरों द्वारा सोने/ चाँदी के सिक्के / बुलियन की बिक्री, बड़े पैमाने पर पटाखों एवं आतिशबाजी के सामानों की बिक्री किए जाने एवं विभिन्न कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसेज में किराना/ मेवा का भण्डारण किया जाता है। इसके अतिरिक्त थोक व बड़े व्यापारियों , स्टाकिस्टों द्वारा अपने आपूर्ति केन्द्रों / गोदामों पर भी उक्त बिक्रीयोग्य वस्तुओं का संग्रह कर लिया जाता है। अतएव ऐसे अवसरों पर व्यापक बिक्री के दृष्टिगत करापवंचन पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु विशेष सतर्कता रखने की आवश्यकता है। इसके साथ ही फास्ट मूविंग कन्ज्यूमर गुड्स (एफ0एम0सी0जी0) का व्यापार करने वाली फर्मो की प्राथमिकता से जॉच कराया जाना आवश्यक है।

व्यापारी वर्गो द्वारा इंगित कठिनाइयों जिसमें जॉच के नाम पर छोटे व्यापारियों का उत्पीड़न किया जाना भी सम्मिलित है, के सम्बन्ध में मुख्यालय के पत्र संख्या-1714 दिनॉक 30-09-2015 से दिये गये निर्देशों एवं उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत दिनांक 05-10-2016 से दिनांक 05-11-2016 तक सघन प्रवर्तन अभियान संचालित करते हुये जोन में कार्यरत वि0अनु0शा0 इकाईयों एवं सचलदल इकाईयों से निम्न जांच एवं प्रवर्तन कार्य कराने की व्यवस्था करें :-

I. बैंको / डाकघरों द्वारा सोने की बिक्री किए जाने,पार्सल के माध्यम से सोना / बुलियन मँगाए जाने की सूचना संकलित करते हुए एक अभियान के रुप में उनकी जॉच सुनिश्चित करें।

II. ड्राईफूट्स, मिष्ठान, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स,गिफ्ट आइटम्स, रेडीमेड गारमेण्ट्स, बर्तन, पटाखों एवं आतिशबाजी के थोक व्यापारियों की जॉच एवं कोल्ड स्टोरेज / वेयर हाउसेज के सम्बन्ध में सूचना एकत्र कर उनकी प्रभावी जॉच करायें।

III. वर्तमान में ई-कामर्स संबंधी सम्व्यवहारों पर प्रवेश कर की देयता के दृष्टिगत प्रचुर मात्रा में आन लाइन हो रहे सम्व्यवहारों पर सर्तक दृष्टि रखते हुये ई-शापिंग कम्पनी से नियमानुसार प्रवेश कर जमा कराने सम्बन्धी कार्य का सघन अनुश्रवण किया जाये।

IV. सचलदल इकाईयों को भी सतर्क करते हुए उपरोक्त करयोग्य वस्तुओं से संबंधित अधिक से अधिक संख्या में वाहनों की जॉच एवं बिल संग्रहण तथा व्यापक एवं ठोस सूचनाओं के आधार पर थोक एवं बड़े ट्रॉसपोटर्स व्यापारियों तथा स्टाकिस्टों के गोदामों तथा आपूर्ति केन्द्रों की गहनता से जॉच कराकर तथा आन लाइन शापिंग / सर्विस प्रोवाइडर कोरियर कम्पनियों के वाहनों से परिवहित हो रहे माल की सघन जांच कर करापवंचन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाये ।

V. इस कार्य में जोन में कार्यरत प्रवर्तन एवं कर-निर्धारण कार्य में तैनात नवपदोन्नत वाणिज्य कर अधिकारियों सहित समस्त अधिकारियों का उपयोग करते हुए करापवंचन रोकने की दिशा में प्रभावी एवं परिणाममूलक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त अभियान से संबंधित पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट मुख्यालय के सचलदल एवं वि0अनु0शा0 अनुभाग को पृथक-पृथक पत्र के साथ संलग्न प्रारुप में उपलब्ध करायी जायेगी। उपरोक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते हुए कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

29/09/16

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर,वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश।